न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 71/2018 **दायरा दिनांक : 29.05.2018**

उनवान

1— दुर्गालाल आत्मज घीसालाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम दीवडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2— मदनलाल आत्मज भैरूलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम दीवडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— माधू लाल आत्मज भैरूलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम दीवडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4— काली बाई पुत्री भैरूलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम दीवडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5— शंकरी बाई पुत्री भैरूलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम दीवडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भैरू लाल आत्मज बिरधा जी, जाति भील, निवासी ग्राम बडाय, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2— लाल सिंह आत्मज रामलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम बडाय, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— बाली बाई पुत्री रामलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम बडाय, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4— द्रोपती बाई पुत्री रामलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम बडाय, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5– देव बाई पत्नी रामलाल जी, जाति भील, निवासी ग्राम बडाय, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजमोहन सोनी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.12.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 563/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करे बिना ही अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम दीवडी, तहसील झालरापाटन स्थित कुल 11 किता की 25 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित है जो अपीलांट के दादा नारायण जी व हीरालाल के नाम समभाग से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी । हीरा लाल का ला औलाद स्वर्गवास हुआ है उनके जीवनकाल में ही उनकी पत्नी द्वारा रेस्पोडेंटगण के दादा देवा जी निवासी ग्राम बढ़ाय के साथ नाता विवाह कर लिया नाता विवाह के तीन चार साल बाद बिरधा आत्मज देवा का जन्म हुआ, बिरधा के दो पुत्र रामलाल व भैरू लाल हैं, इस प्रकार बिरधा आत्मज देवा का हीरालाल जी की सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से हीरालाल जी का फोती

इंतकाल बिरधा के नाम तस्दीक कर दिया व बाद मृत्यु बिरधा, रामलाल व भैरू लाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया, जबकि रेस्पोडेंटगण का वर्णित आराजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और न कभी कब्जा काश्त ही रहा है । देवा जी के स्वर्गवास के बाद उनकी ग्राम बढ़ाय स्थित चल और अचल सम्पत्ति बिरधा को प्राप्त हुई और बिरधा के बाद रेस्पोडेंट को प्राप्त हुई जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट का नाम राजस्व रेकार्ड में से खारिज करने का आदेश प्रदान नहीं कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी बांध के निर्माण के कारण डूब क्षेत्र में आ जाने से मुआवजा के सम्बन्ध में नोटिस रेस्पोडेंट को प्राप्त होने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट का नाम गलत रूप से रेकार्ड में दर्ज है जिस पर अपीलांट द्वारा राजस्व रेकार्ड की जानकारी प्राप्त कर घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया, वर्णित आराजी पर रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त व बिरधा के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में तनकीयात कायम किये बिना ही अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही तनकी नम्बर 2 अपीलांट के विरूद्ध निर्णीत कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से बिरधा का देवा जी से जन्म होना प्रमाणित कर देने के बावजूद भी व रेस्पोडेंट द्वारा उक्त सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्यों का खण्डन नहीं करने के बावजूद भी तनकी नम्बर 3 रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णीत कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.05.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर आर टी 2014 (2) पेज 1036, आर आर टी 2008 (1) पेज 12 एवं आर आर टी 2014 (2) पेज 1420 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा, ऐसा कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा जो अपीलांट के पक्ष को सिद्ध करते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा